



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित )  
कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009  
दूरभाष क्रमांक : (07752)210712  
[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) Email – [registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)

# 1.1.1

## Programme Outcomes

### Minutes

**VERIFIED**

**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

**Dr. Anita Singh**  
Incharge NAAC Criteria-I  
PSSOU, CG Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं 113 / अका. / वि.प. / बैठक / 2020,

बिलासपुर, दिनांक 27/06/2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलारापुर के विद्या परिषद् की 31 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25/06/2020, दिन गुरुवार पूर्वान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष  
कुलपति  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल - सदस्य  
क्षेत्रीय निदेशक  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, - सदस्य  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर  
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
4. प्रो. मीता झा, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य  
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर  
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
5. डॉ. अनिता सिंह, - सदस्य  
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
6. श्री संजीव कुमार लवानिया - सदस्य  
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव - सदस्य  
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

11/7/19

8

8. श्री रेशमलाल प्रधान - सदस्य  
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (भुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
9. डॉ. इंदु अनंत - सचिव  
कुलसचिव  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (भुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त - सदस्य  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, - सदस्य  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर  
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
3. संचालक - सदस्य  
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,  
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी - सदस्य  
कुलसचिव (SED),  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली  
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।  
निर्णय - कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02- समतुल्य पाठ्यक्रमों में Lateral entry प्रावधान संबंधी नियम का अनुमोदन पर विचार।  
निर्णय - निम्न संशोधन के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

1. इसे अध्यादेश में सम्मिलित किया जाए।
2. ड्राफ्ट के बिन्दु क्रमांक 7 में संशोधन के साथ 'Equivalence Committee' की अनुशंसा पर 'Competant Authority' जारी करेंगी लिखा जाए।
3. ड्राफ्ट में बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित किया जाए।



प्रस्ताव क्र. 03- कोविड-19 के संदर्भ में अध्यादेश क्रमांक 1 के भाग C-1:10A संशोधन के अनुरूप अंक योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार।

निर्णय - अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04- विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - दिनांक 06/03/2020 को आयोजित अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 के लिए यू.जी.सी. से पत्र लिखकर अनुमति लिया जाए। इसी प्रकार दिनांक 06/03/2020 को आयोजित विधि विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 LLM पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु की गई अनुशंसा पर विचार कर निर्णय किया गया कि अभी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव क्र. 05- डॉ. गौरी शर्मा के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।

निर्णय - सूचना ग्रहण की गई तथा मान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य अनुदान नियम 2016 के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् में रखे जायेंगे" के स्थान पर "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विद्यापरिषद् की बैठक होने पर इसकी सूचना वहां भी दी जायेगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)  
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु अनंत)  
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 114 / अका. / वि.प. / बैठक / 2020,

विलासपुर, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- ✓ 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

  
कुलसचिव





पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 445 / का.प. / बैठक / 2020

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 94 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30/06/2020, दिन मंगलवार, अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 8 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष  
कुलपति  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर
2. श्री एस.एल.नायक - सदस्य  
संयुक्त सचिव  
छ.ग.शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
नया रायपुर (छ.ग.)
3. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट - सदस्य  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नवा रायपुर (छ.ग.)  
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
4. श्री प्रफुल्ल शर्मा - सदस्य  
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
5. श्री उचित सूद - सदस्य  
होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)
6. पद्मश्री डॉ.स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु - सदस्य  
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य  
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

8. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य  
आचार्य  
मानविकी अध्ययन विभाग  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली  
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
9. श्री भावेश दुबे (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य  
संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर  
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. इंदु अनंत – सचिव  
कुलसचिव  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री एम. डी. दीवान – सदस्य  
संयुक्त सचिव  
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग  
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. श्री संतराम नेताम – सदस्य  
उपाध्यक्ष  
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण  
रायपुर
3. उपाध्यक्ष – सदस्य  
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण  
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विद्या परिषद् की 31 वीं बैठक दिनांक 25/06/2020 के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव।

निर्णय – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि NRDA नवा रायपुर में भी शासकीय भूमि क्रय के लिए प्रयास किया जाए।



प्रस्ताव क्र. 03 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान संबंधी – डॉ. बंश गोपाल सिंह, माननीय कुलपति महोदय।

निर्णय – चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय लिया गया कि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर वित्ताधिकारी के परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाए।

प्रस्ताव क्र. 04 – कुलसचिव को प्राप्त वित्तीय अधिकार संबंधी।

निर्णय – प्रशासकीय वित्तीय अधिकार मान्य किया गया। कार्यपरिषद् में प्रथम बार मनोनित सदस्यों को स्वीकृत बजट की कॉपी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले भुगतानों की सूचना कार्यपरिषद् के सदस्यों को कार्यपरिषद् की बैठक में दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया।

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन संबंधी।

निर्णय – C.1.10-B के प्रस्तावित प्रावधान में निम्नानुसार जोड़ते हुए संशोधन सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

“तथा विश्वविद्यालय ऐसे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकार्डिंग भी करायेगा। पी-एच.डी. के प्रकरण में सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।”

प्रस्ताव क्र. 06 – NAAC की तैयारी की दृष्टि से पूर्णकालिक/आकस्मिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि :

1. नियुक्ति हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पुनः पत्र लिखा जाय। स्ववित्तीय आधार पर अनुमति का पत्र लिखा जाय।
2. विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णकालिक कन्सल्टेंट के रूप में योग्य शिक्षकों की 6 माह हेतु नितान्त अस्थाई आधार पर विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति की जाय जिसमें शासन के अनुसार नियमों का पालन किया जाय।
3. मासिक मानदेय रूपये 29000/- प्रतिमाह तय किया गया।

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव।

निर्णय – विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि स्टूडियो निर्माण के लिए मार्गदर्शक एवं उचित निर्देशन के लिए कार्यपरिषद् सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1. पद्मश्री डॉ. स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
2. श्री उचित सूद
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति

समिति का सुझाव कार्यपरिषद् की अगली बैठक में रखा जाएगा।



प्रस्ताव क्र. 08 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव।

निर्णय – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी तीन फर्मों को योग्य पाते हुए समस्त फर्मों के दर समान होने के कारण किसी एक फर्म को आदेश जारी किए जाने की अनुशंसा क्रय समिति के द्वारा की गई थी। क्रय समिति की अनुशंसा पर विचार कर समान दर वाले तीन फर्मों में से एक फर्म श्री सिद्धि विनायक सिक्कोरिटी सर्विसेस, बिलासपुर को प्रथमतः दो माह के लिए कार्यादेश दिए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फर्म का सुरक्षा एवं सफाई कार्य अच्छा होने पर आगे कार्य अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। सुरक्षा एवं सफाई संबंधी व्यवस्था ठीक न होने की रिपोर्ट पर समान दर वाले दूसरे फर्म जो बिलासपुर में स्थित हो उसे उन्ही दर और शर्तों पर कार्यादेश दिए जाने के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रस्ताव क्र. 09 – सी.ए. पैनल के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सी.ए. के नाम संबंधी पैनल में श्री संजय मिश्रा (सी.ए.) पार्टनर, में. नितेश अग्रवाल एण्ड एसोसिएट, सुभाष काम्पलेक्स, बिलासपुर, श्री रूपिन खण्डूजा (सी.ए.) बिलासपुर, श्री अमित अग्रवाल (सी.ए.) बिलासपुर, श्री नन्दन जैन रायपुर के अलावा श्री संतोष पमनानी तथा श्री सुनील जैन का नाम जोड़ते हुए पैनल अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 10 – पी.स्क्वायर साल्यूशन मथुरा (उ.प्र.) एवं प्रज्ञा पब्लिकेशन प्रा. लि. मथुरा (उ. प्र.) सत्र 2019-20 शेष देयक भुगतान संबंधी।


निर्णय – पेज संख्या को चेक करा भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 11 – शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुद्रित पाठ्यपुस्तको के देयक भुगतान संबंधी।


निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा पी.स्क्वायर साल्यूशन मथुरा (उ.प्र.) को दिए गए कार्यादेश पर प्रदाय किए गए पाठ्यपुस्तको शैक्षणिक सत्र (2020-21) का भौतिक सत्यापन करा पेज संख्या चेक करा 90% कुल भुगतान राशि से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 10% रोकी गई भुगतान की राशि कार्यपरिषद् की बैठक में रख पुनः स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाए।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संत कबीर जी पर एक सेमिनार अक्टूबर माह में आयोजित की जाए। सेमिनार का प्रस्तावना डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष

  
(इंदु अनंत)

कुलसचिव/सचिव

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण -
  - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
  - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्षा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव (मो. नं. 8959966666)।
  - 3.3 उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
  - 3.4 श्री भावेश दुबे, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
  - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
  - 3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - 3.8 पद्मश्री डॉ. जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
  - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्द्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
  - 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों ..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

  
कुलसचिव








### प्रस्ताव क्र. 1 -

निर्णय - अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक में कोविड - 19 के संदर्भ में उनके योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि 2 पॉस्ट की परीक्षा अवधि में खण्ड अ में 5 प्रश्न होंगे प्रति प्रश्न 2 अंक कुल 10 अंक। खण्ड ब में प्रस्तावित प्रश्न संख्या 3 प्रति प्रश्न अंक 3 कुल अंक - 9, खण्ड स में प्रस्तावित प्रश्न संख्या 2, प्रति प्रश्न अंक 6, कुल अंक 12, खण्ड द में प्रस्तावित प्रश्न संख्या 1, प्रति प्रश्न अंक 15 कुल अंक 15, खण्ड य में प्रस्तावित प्रश्न संख्या 1 प्रति प्रश्न अंक - 24, कुल अंक 24 इस तरह कुल प्रस्तावित प्रश्न संख्या - 12 एवं कुल अंक 70 होंगे।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।



- ✓ प्रस्तावित - विभिन्न कोर्स/ प्रोग्राम के इक्विवलेंट ऑपरण्ड के निर्धारण विषयक।
- ✓ निर्णय - वि. वि. में संचालित विभिन्न कोर्स/ प्रोग्राम के प्रश्न पत्र वार इक्विवलेंट ऑपरण्ड का अनुमोदन किया गया।

22/06/2020

22/06/2020  
22-6-2020

VERIFIED  
[Signature]

22.06.2020

22/6/2020

22/6/2020

22/6/2020

22/06/2020

Dr. Anita Singh  
Incharge NAAC Criteria-I  
GGSOU, CG Bilaspur

22/06/2020

22-6-2020

22/6/2020